

कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी विदिशा वृत्त
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी

1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य,	वाणिज्यिक कर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख आयुक्त होते हैं, विधानुसार सभी शक्तियां आयुक्त को दी गई है, परंतु विधान में यह प्रावधान है कि, आयुक्त अपने अधिनस्थ अधिकारियों को इन अधिकारियों/शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगे । आयुक्त के अधीन अपने अपर, आयुक्त, उपायुक्त, अपीलीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षक, कराधान सहायक की पदस्थापना होती है जो विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक एवं क्वासीज्यूडिसियल कार्य आयुक्त द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों / शक्तियों के तहत करते हैं। वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश शासन का सबसे बड़ा कर सग्रहण वाला विभाग है, विभाग द्वारा मूल्य, सर्वद्वित कर (वेट कर), केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेशकर, एलईएटी, वृत्ति कर का सग्रहण करना तथा उक्त अधिनियमों के तहत राजस्व वृद्धि के प्रयास करना ।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	व्यवसाइयों का पंजीयन, विवरण पत्र प्राप्त करना, एवं अग्रिम कर की कार्यवाही, इनफोर्समेंट, कर निर्धारण, अपील, रिवीजन, एरियर्स की वसूली करना
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ?	विभागीय सरंचना में सबसे छोटी इकाई वृत्त कार्यालय है एक जिले में एक या एक से अधिक वृत्त कार्यालय (व्यवसाइयों की संख्या के आधार पर) हो सकते हैं। वृत्त कार्यालय को प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी है। जिनके सहयोग के लिये सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, निरीक्षक, कराधान सहायक, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी पदस्थ है। कर सग्रहण का दायित्व वाणिज्यिक कर अधिकारी पर होता है। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा वेट अधिनियमों के प्रावधानों के तहत व्यवसाइयों का पंजीयन, विवरण पत्र प्राप्त करना, एवं अग्रिम कर की कार्यवाही, इनफोर्समेंट, कर निर्धारण, अपील, रिवीजन, एरियर्स की वसूली करना
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	मध्यप्रदेश शासन के द्वारा वेट अधिनियमों के प्रावधानों के तहत

5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख,	मध्यप्रदेश वेट कर अधिनियम 2002, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, प्रवेशकर अधिनियम 1976, मध्यप्रदेश वृत्तकर अधिनियम 1995, मध्यप्रदेश होट तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम 1988, एलईएटी अधिनियम 2011		
		मध्यप्रदेश वेट कर नियम 2006, केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्न ओवर) नियम 1957, मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम 1957, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976, मध्यप्रदेश वृत्तिकर नियम 1995, मध्यप्रदेश होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम 1988, एलईएटी अधिनियम 2011 एवं समय समय पर आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा जारी परिपत्र एवं निर्देश ।		
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण	करदायी व्यवसायों का रजिस्टर लेजर ए, बी, प्रत्येक पंजीयत व्यवसायी की पंजीयन नस्ती, आर्डर शीट, पंजीयन विलोपन आदेश, प्रदाय किये गये स्ट्रेट्यूटरी फार्मों का लेखा जोखा तथा व्यवसायी से संबंधित अन्य प्रमुख जानकारियों कर निर्धारण, डिस्पोजल, वसूली एवं अन्य		
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं,	वाणिज्यिक कर सलाहकार समिति, इस समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में विचार किया जाता है, इस समिति के सदस्य सरकार द्वारा नामांकित जनप्रतिनिधि, प्रमुख व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ कर सलाहकार सदस्य होते हैं। जो कानून के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाईयों व आने वाले असुविधाओं के मद्देनजर प्रशासनिक एवं वैधानिक परिवर्तन हेतु राज्य शासन को सुझाव देना इनका कर्तव्य एवं दायित्व है।		
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्य वृत्त तक जनता की पहुंच होगी,	वाणिज्यिक कर सलाहकार समिति, इस समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में विचार किया जाता है, इस समिति के सदस्य सरकार द्वारा नामांकित जनप्रतिनिधि, प्रमुख व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ कर सलाहकार सदस्य होते हैं। जो कानून के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाईयों व आने वाले असुविधाओं के मद्देनजर प्रशासनिक एवं वैधानिक परिवर्तन हेतु राज्य शासन को सुझाव देना इनका कर्तव्य एवं दायित्व है। कार्य विवरणी पर जन साधारण की पहुंच :- बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर राज्य सलाहकार को भेजे जाने वाले सुझाव को रिकार्ड में रखा जाता है। फिलहाल कार्य विवरणी पर जन साधारण की पहुंच नहीं है।		
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	श्री जीवन सिंह रजक, वाणिज्यिक कर अधिकारी	8989980577	
		श्रीमति साधना सिंगाड़िया, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	8989980589	
		कृ. पूनम परिहार, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	8989980588	

		श्री प्रेम नारायण सोनगरा, निरीक्षक (चैक पोस्ट पर पदस्थ)	07592-250711	
		श्री मनोज एस. लालवानी, निरीक्षक	8989980601	
		श्री गौरव शर्मा, कराधान सहायक	8989993093	
		श्री प्रमोद कुमार शर्मा, कराधान सहायक	8989993092	
		श्री राकेश कुलश्रेष्ठ, सहायक ग्रेड-2	07592-250711	
		श्री खेमचंद सिलावट, सहायक ग्रेड-2	07592-250711	
		श्री जी.पी. विश्वकर्मा, सहायक ग्रेड-2	07592-250711	
		श्री रियाजुल हसन रिजवी, सहायक ग्रेड-2	07592-250711	
		श्रीमति माधुरी पाण्डेय आशुलिपिक	07592-250711	
		श्री अंकुश जैन, सहायक ग्रेड-3	07592-250711	
		श्री मोहित जैन, सहायक ग्रेड-3	07592-250711	
		श्री पंकज पाराशर, आई.टी. ऑपरेटर	07592-250711	
		श्री राजमल नामदेव, भृत्य	07592-250711	
		श्री मोहनलाल, भृत्य	07592-250711	
		श्री खूबसिंह मोंगिया, भृत्य	07592-250711	
		श्री खेमचंद अहिरवार, फर्शा	07592-250711	
		श्री कमलेश शर्मा, चौकीदार	07592-250711	
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमीक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है,			
		विदिशा वृत्त कार्यालय में स्वीकृत पद एवं उनका वेतनमान		
	वाणिज्यिक कर अधिकारी		15600-39600 ग्रेड पे 5400	
	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी		9300+34800 ग्रेड पे 3600	
	निरीक्षक		5200-20200 ग्रेड पे 2800	
	कराधान सहायक		5200-20200 ग्रेड पे 2800	
	लेखापाल		5200-20200 ग्रेड पे 2800	
	सहायक ग्रेड-1		5200-20200 ग्रेड पे 2800	
	सहायक ग्रेड-2		5200-20200 ग्रेड पे 2400	
	सहायक ग्रेड-3		5200-20200 ग्रेड पे 1900	
	आशुलिपिक		5200-20200 ग्रेड पे 1900	
	आई.टी.ऑपरेटर		5200-20200 ग्रेड पे 1900	

	भृत्य	2750 – 4400 ग्रेड पे 1300		
	आदेश वाहक	2750 – 4400 ग्रेड पे 1300		
	चौकीदार	2750 – 4400 ग्रेड पे 1300		
	फार्सि	2750 – 4400 ग्रेड पे 1300		
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	वर्ष 2014-15 में वाणिज्यिक कर विदिशा वृत्त को प्राप्त बजट एवं खर्च		
	हेड	प्राप्त आवंटन	खर्च	
सूचना प्रौद्योगिकी	07-2040-00-001-8808-9999-V-33-002	30000	25800	
वेतन	07-2040-00-101-1509-9999-V-11-001	4181837	4181837	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-11-003	4820147	4820147	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-11-006	208479	208479	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-11-008	6150	6150	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-11-028	980965	980965	
यात्रा भत्ता	07-2040-00-101-1509-9999-V-21-001	42447	42447	
कार्यालय व्यय	07-2040-00-101-1509-9999-V-22-001	69466	69466	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-22-002	13018	13018	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-22-005	92199	92199	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-22-006	9000	9000	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-22-007	51000	50950	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-22-008	16933	16933	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-22-009	5000	0	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-22-011	215616	215616	
व्यवसायिक सेवाओ हेतु	07-2040-00-101-1509-9999-V-31-003	3250	3250	
	07-2040-00-101-1509-9999-V-31-006	8300	8300	
अनुरक्षण कार्य	07-2040-00-101-1509-9999-V-33-006	5300	5211	
	योग	10759107	10749768	

12	सहायिका कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरें सम्मिलित हैं,	इस विभाग के लिए लागू नहीं
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारियों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	वाणिज्यिक कर अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, प्रवेशकर अधिनियम एवं लगजरी टैक्स अधिनियम के अधीन स्थापित होने वाले नये उद्योगो एवं नये होटलों को वाणिज्यिक कर, प्रवेशकर एवं लगजरी टैक्स से छूट/आस्थगन के पात्रता प्रमाण पत्र जिला स्तरीय, राजस्य रस्तरीय समितियों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाते है। छूट प्राप्त औद्योगिक इकाइयों एवं होटलो इत्यादि का विवरण संबंधित वृत्त कार्यालय में रखा जाता है।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो की उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों,	करदायी व्यवसाइयों का रजिस्टर लेजर ए (साफ्ट एण्ड हार्ड कॉपी) पंजीयत व्यवसाइयों का लेजर बी व पंजीयन नस्ति (हार्ड कॉपी), कर निर्धारण प्रकरण ए एवं बी (हार्ड कॉपी), कर निर्धारण रजिस्टर 18 (2), डिस्पोजल रजिस्टर, अपील रजिस्टर, निगरानी प्रकरण रजिस्टर, वसूली नस्ती, संग्रह रजिस्टर (साफ्ट एवं हार्ड कॉपी)
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं,	विभागीय पोर्टल https://mptax.mp.gov.in पर उपलब्ध सूचनाएं एवं जानकारीयां जैसे, व्यवसायी के पंजीयन की स्थिति, विवरण पत्रों की स्थिति समय समय पर अन्य जानकारी पोर्टल में उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त व्यवसाइयों को ऑन लाईन सुविधा 24 घंटे
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां?	श्री जीवन सिंह रजक, वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर विदिशा वृत्त
17	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए	कोई नहीं